

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं  
मध्यप्रदेश**

क्र./4/कार्या.स्था/सेल-2/2020/..... भोपाल, दिनांक ..... /..... /2020  
//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 04-01/2006/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 13.03.2013 द्वारा रु. 37400-67000+8700 वेतन बैड़ + ग्रेड वेतन पर चिकित्सा सेवा भत्ता रु. 5000/- स्वीकृत किया गया।

संचालनालय के आदेश क्र./1-जी/विज्ञप्त/सेल-6/व.प्र.से. वेतन/2020/388, दिनांक 05.03.2020 द्वारा डॉ. बी.डी. खरे, प्रभारी उप संचालक स्थानीय कार्यालय को दिनांक 05.02.2019 से रु. 37400-67000+ग्रेड-पे 8700/- स्वीकृत किया गया।


शासन के आदेश दिनांक 13.03.2013 के अनुक्रम मे डॉ. बी.डी. खरे, प्रभारी उप संचालक को दिनांक 05.02.2019 से वेतन बैड़ + ग्रेड वेतन के आधार पर दिनांक 05.02.2019 से रु 5000/- (पाँच हजार) चिकित्सा सेवा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

अपर संचालक (प्रशासन) द्वारा निर्देशित।

उप संचालक(कार्या.स्था.)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./4/कार्या.स्था/सेल-2/2020/1858 भोपाल, दिनांक 28/9 /2020  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय की ओर उनकी टीप क्र.1726, दिनांक 16.09.2020 के अनुक्रम में सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, विज्ञप्त, स्थानीय कार्यालय।
3. डॉ. बी.डी. खरे, प्रभारी उप संचालक, विज्ञप्त, स्थानीय कार्यालय।
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय।
5. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय
6. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

  
उप संचालक(कार्या.स्था.)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश